BPSC Special School Teacher Exam Pattern 2025

ResultBharat.com

4. चयन प्रक्रिया:– लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के आधार पर।

➢ लिखित परीक्षा:–

लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे:–

पत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	कुल अंक	अभ्युक्ति
1.	भाषा (अर्हता) एवं सामान्य अध्ययन	150 भाग–I-30, भाग–II-120	02.:30 घंटे	150	प्राथमिक विद्यालय (वर्ग 1 से 5) के लिए ➢ यह पत्र दो भाग में होंगे यथा– भाग–I एवं भाग–II ➢ भाग–I- भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। ➢ भाग–II-सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। ➢ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। ➢ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।

ResultBharat.com

पत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	कुल अंक	अभ्युक्ति
2.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग–I-30, भाग–II-40 एवं भाग–III-80	02.30 घंटे	150	मध्य विद्यालय (वर्ग 6–8) के लिए ➢ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा– भाग–I, भाग–II एवं भाग–III ➢ भाग–I- भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। ➢ भाग–II-सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। ➢ भाग–III- मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:– गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। नोट:–वर्ग 6–8 के लिए सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी को Section-I में इतिहास या भूगोल विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। यदि Section-I में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में भूगोल/ अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और यदि अभ्यर्थी द्वारा Section-I में भूगोल विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ➢ उपरोक्त सभी विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।

- भाषा (अर्हता) भाग–I Qualifying होगा।
- सभी विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जानेवाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय (MCQ Objective) आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा।
- गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक (Negative Marking) नहीं होगा।
- "कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या–2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–962, दिनांक–22.01.2021 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जायेंगे।"
- उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

5. <u>मेधा सूची:—</u>

➤ **विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण:—**

<u>वर्ग 1 से 5 के लिए</u>

लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक (भाग—II) के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भाषा (अर्हता) (भाग—I) विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा—क्रम निर्धारित होगा। भाषा (अर्हता) (भाग—I) विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

<u>वर्ग 6 से 8 के लिए</u>

लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक (भाग—II एवं III) के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय (भाग—III) का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा (अर्हता) (भाग—I) विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा—क्रम निर्धारित होगा। भाषा (अर्हता) (भाग—I) विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

नोट:—औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात् पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

ResultBharat.com

➤ <u>साक्षात्कार:—</u>

इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

➤ <u>अधिमानता:—</u>

- विशेष विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा में इच्छूक पात्र अभ्यर्थी दिव्यांगता की 09 श्रेणियों में से एक से अधिक दिव्यांगता की श्रेणी में विशेष विद्यालय अध्यापक पद के लिए आवेदन करने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रशैक्षणिक योग्यता में वर्णित विषय/कोर्स के आधार पर ऑनलाइन आवेदन में दिये गये विकल्प का चयन करेंगे। उक्त विकल्प का चयन प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं होगा।
- प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक वर्ग के विशेष विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए तथा दिव्यांगता की 09 श्रेणी में से एक से अधिक श्रेणी में आवेदन करने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही संवर्गो एवं दिव्यांगता की श्रेणी की प्राथमिकता (Priority) अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विशेष विद्यालय अध्यापक के विभिन्न वर्गों एवं श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है।
- मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जायेगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग/दिव्यांगता की श्रेणी आवंटित हो जाने के पश्चात् शेष अन्य संवर्गो/दिव्यांगता की श्रेणी में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसपर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा।